रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 733] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 910(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य के मध्य सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने आदेश तारीख 18-2-2010 और तारीख 29-3-2010 द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा माननीय डॉ. ए.एस. आनंद, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष, अध्यक्ष के परामर्श से तमिलनाडु और केरल राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य से एक सदस्य और अध्यक्ष के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो तकनीकी सदस्यों को, जो विवाद से संबंधित न हों, से मिलकर बनने वाली सशक्त समिति का गठन करने के लिए निदेशित किया था;

और, सशक्त समिति उसके समक्ष वाद के पक्षकारों द्वारा उठाए सभी विवाद्यकों पर, बिना उन विवाद्यकों तक सीमित किए हुए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, सुनवाई करनी थी और अपने गठन से छह मास के भीतर, यथा संभव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, सशक्त समिति, अधिसूचना सं. का.आ. 992(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2010 द्वारा गठित की गई थी;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने तारीख 20 सितम्बर, 2010 को आदेश द्वारा सशक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया;

और, सशक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2659(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2010 से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने तारीख 6 अप्रैल, 2011 को आदेश द्वारा सशक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय पुनः छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेश का अनुपालन करने के लिए सशक्त समिति की अवधि को 30 अप्रैल, 2011 से छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित करती है ।

[फा. सं. 11/2/2010-बीएम]

जी. मोहन कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 910(E).—Whereas in the matter of Original Suit No. 3 of 2006, between State of Tamil Nadu V/s State of Kerala, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Orders dated the 18th February, 2010 and the 29th March, 2010 directed the Central Government to set up by notification in the Official Gazette, an Empowered Committee, comprising of Hon'ble Dr. A.S. Anand, former Chief Justice of India as the Chairman, one Member each to be nominated by the State of Tamil Nadu and State of Kerala, in consultation with the Chairman, and two technical experts, not connected with the dispute, to be nominated by the Central Government, in consultation with the Chairman;

And whereas the Empowered Committee was to hear the parties to the suit on all issues raised before them without being limited to issues that have been raised before the Hon'ble Supreme Court and the Committee was to furnish a report, as far as possible, within a period of six months from its constitution;

And whereas the Empowered Committee was constituted *vide* notification number S.O. 992(E), dated the 30th April, 2010;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in the matter of Original Suit No. 3 of 2006; *vide* its Order dated the 20th September, 2010 extended the time for the submission of the report by the committee by a further period of six months;

And whereas the term of the Empowered Committee was extended for a further period of six months with effect from the 30th October, 2010 *vide* notification number S.O. 2659(E), dated the 28th October, 2010;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in the matter of Original Suit No. 3 of 2006, *vide* its Order dated the 6th April, 2011 has again extended the time for submission of the report by the Empowered Committee by a further period of six months;

Now, therefore, for implementing the said directions of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby extends the terms of Empowered Committee for a further period of six months with effect from the 30th April, 2011.

[F. No. 11/2/2010-BM]

G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.